

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 493]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 6 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 15, शक 1938

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 6 दिसम्बर 2016

क्र. 31035-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 64 के उपर्युक्तों के पालन में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 26 सन् 2016) जो विधान सभा में दिनांक 6 दिसम्बर, 2016 को पुरस्थापित हुआ है। जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक २६ सन् २०१६

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, २०१६ है।

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम २. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १० में, उपधारा (४) क्रमांक २३ सन् में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया १९५६ का संशोधन जाए, अर्थात् :—

“परन्तु किसी भी नगरपालिक निगम के कार्यकाल की पूर्णता के छह माह पूर्व क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार की प्रक्रिया अनिवार्यतः पूर्ण कर ली जाए अन्यथा राज्य निर्वाचन आयोग पूर्व निर्धारित एवं प्रचलित परिसीमन के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ करेगा :

परन्तु यह और कि ऐसे क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार आने वाली निर्वाचन प्रक्रिया हेतु लागू होंगे.”.

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम ३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा २९ में, उपधारा (४) में, पूर्ण क्रमांक ३७ सन् विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए अर्थात् :—

“परन्तु किसी भी नगरपालिका के कार्यकाल की पूर्णता के छह माह पूर्व क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार की प्रक्रिया अनिवार्यतः पूर्ण कर ली जाए अन्यथा राज्य निर्वाचन आयोग पूर्व निर्धारित एवं प्रचलित परिसीमन के आधार पर निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ करेगा :

परन्तु यह और कि ऐसे क्षेत्र के सम्मिलित किए जाने या हटाए जाने अथवा वार्डों के सुधार आने वाली निर्वाचन प्रक्रिया हेतु लागू होंगे.”.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १० तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा २९ में, क्रमशः नगरीय निकायों के वार्डों की संख्या तथा उनकी सीमाओं के निर्धारण का उपबन्ध है। वर्तमान में वार्डों को सम्मिलित करने या हटाने या उनमें सुधार करने के लिये राज्य निर्वाचन आयोग को सूचना देने की कोई समय-सीमा का कोई प्रावधान नहीं है। इससे मतदाता सूची तैयार करने तथा निर्वाचन का संचालन करने में काफी समस्याएं आती हैं और शाहरी स्थानीय निकाय, राज्य निर्वाचन आयोग से परिसीमन के लिए अतिरिक्त समय दिये जाने के लिये हमेशा मांग करते रहते हैं और कई बार राज्य निर्वाचन आयोग निर्धारित समयावधि में निर्वाचन पूर्ण नहीं करा पाता है।

२. इस संदर्भ में राज्य निर्वाचन आयोग की राय है कि वार्डों को सम्मिलित करने, हटाने या उसमें सुधार करने का कार्य नगरीय निकायों की अवधि के पूर्ण होने के छह माह पूर्व पूरा कर लिया जाये जिससे राज्य निर्वाचन आयोग अपने संवैधानिक कर्तव्यों का समय सीमा में निर्वहन कर सके और न्यायालयीन प्रकरण उत्पन्न ना हो। अतएव, इस स्थिति से निपटने के लिए मध्यप्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) की धारा १० तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) की धारा २९ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं।

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

दिनांक २८ नवम्बर, २०१६।

माया सिंह
भारसाधक सदस्य।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 495]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 दिसम्बर 2016—अग्रहायण 16, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2016

क्र. 19212-293-इक्कीस-अ-(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2016 (क्रमांक 26 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश चादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 26 OF 2016

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI (TRITIYA SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2016.

**A Bill further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and the
Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-seventh year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Tritiya Sanshodhan) **Short title.** Adhiniyam, 2016.

PART I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (No. 23 OF 1956)

2. In Section 10 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956), in sub-section (4), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the process of inclusion or exclusion of area or reformation of wards inevitably by completed before six months of completion of tenure of any

**Amendment to
the Madhya
Pradesh Act No.
23 of 1956.**

Municipal Corporation otherwise the State Election Commission shall start electoral process on the basis of preset and prevailing delimitation:

Provided further that inclusion or exclusion of such area or reformation of wards shall apply for upcoming election process.”.

PART II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (No. 37 OF 1961)

**Amendment to
the Madhya
Pradesh Act No.
37 of 1961.**

3. In Section 29 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), in sub-section (4), for full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the process of inclusion or exclusion of area or reformation of wards inevitably be completed before six months of completion of tenure of any Municipal Council otherwise the State Election Commission shall start electoral process on the basis of preset and prevailing delimitation:

Provided further that inclusion or exclusion of such area or reformation of wards shall apply for upcoming election process.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Section 10 of Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Section 29 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) respectively, provide for determination of number and extent of wards of municipal bodies. At present there is no provision to inform to the State Election Commission within the time limit for inclusion or exclusion or reformation of wards. It creates problem in preparation of voter lists and conduct of election, and urban local bodies always demand to the State Election Commission to provide extra time for delimitation and sometimes the State Election Commission could not complete the election in schedule.

2. In this context, the opinion of the State Election Commission is that the inclusion or exclusion or reformation of wards should be completed before six months of completion of tenure of municipal bodies so that the State Election Commission could discharge their constitutional duties within the time limit and the court cases do not arise. Therefore, in order to overcome the situation, suitable amendments are proposed in Section 10 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and in Section 29 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961.

3. Hence this Bill.

Bhopal :

Dated the 28th November, 2016

MAYA SINGH
Member-in-Charge.